नववर्ष की पूर्व संध्या पर दूध वितरण

जयपुर। मालवीय नगर वॉर्ड 131 के एक प्रमुख चौराहे पर नववर्ष के उपलक्ष में दूध वितरण का कार्यक्रम किया गया। पार्षद गोविन्द छीपा ने कहा कि दूध दही वाले हमारे भारत देश में मादक पदार्थों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर विधायक काली चरण सराफ, सुमन शर्मा, सन्नी कपूर, गंगा राम सैनी, गणेश सैनी, राम कृपाल, नीरजा सक्सेना सहित अनेक गणमान्य नागरिक और आमजन उपस्थित रहे।

कार्यालय उपायुक्त किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर
सोफिया स्कूल के सामने घाटगेट जयपुर पिन कोड 302003
क्रमांक-F-52/DC/KPZ/2025/1682/K-122 दिनांक-29.12.2025
सार्वजनिक आपत्ति सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा एवं संजीव कुमार शर्मा पुत्रान श्री रामस्वरूप शर्मा ने मकान नं. 1214 तीतर वालो की गली, बाबा हरीश चन्द मार्ग चांदपोल बाजार जयपुर का 69-क, के तहत स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान के आदेश क्रमांक 7062 दिनांक 15.11.2022 के अनुसार आवेदन पत्र के साथ स्वामित्व संबंधित दस्तावेजों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति का स्वयं का क्षेत्रफल 62.94 वर्गमीटर का 69-क, के तहत पट्टा चाहा है। उक्त भूखण्ड के संबंध में किसी व्यक्ति सरकारी/गैर सरकारी संस्था भवन/दुकान के अन्य हिस्सेदार, मालिको या अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें। बाद मियाद गुजरने के आवेदन का नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावेगा।
उपायुक्त, किशनपोल जोन, नगर निगम (जयपुर)

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/1117
चूंकि प्रार्थी श्री BACHCHALAL MEENA BHOPUR KARAULI ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास प्रभात सर्वांगीण विकास सेवा संस्थान हिण्डौन सिटी 84/85 CHANIKYAPURI JAGATPURA JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 29.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 09.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 100/2025
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री रामावतार योगी ने पंजीकृत प्रन्यास तीन पहाड शक्ति स्थल ट्रस्ट मेहन्दीपुर बालाजी तहसील सिकराय, दौसा जिसका पंजीयन क्रमांक 1/2015 है के सम्बन्ध मे राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रपत्र-8 प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा प्रन्यासी श्री शिव प्रसाद, श्री मुरारी योगी, श्री मदनलाल, श्री मन्नालाल, श्री बनवारी लाल श्री कमल पोषवाल की मृत्यु हो जाने के कारण उनके नाम प्रन्यास विधान से हटाने तथा उनके स्थान पर श्री गजेन्द्र पोषवाल, श्री राजेन्द्र कुमार पोषवाल, श्री नरेश कुमार, श्री रविन्द्र कुमार पोषवाल श्री योगेश कुमार, श्री रविन्द्र कुमार श्री संतोष योगी को स्थायी प्रन्यासी मनोनीत कर उनके नाम प्रन्यास विधान में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 मे आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 12.01.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

'राजस्थान में सौर ऊर्जा से रोशन हो रहे घर, लहलहा रही फसलें'

प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 35 हजार मेगावाट से अधिक हुई

- सौर ऊर्जा के कारण आमजन को महंगी बिजली से मिल रही राहत, घट रही कोयले पर निर्भरता
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के त्वरित और दूरदर्शी निर्णयों से राजस्थान की सोलर हब के रूप में बन रही वैश्विक पहचान

जयपुर (कासं)। नववर्ष का सूरज प्रदेश के लिए नई उम्मीदों की किरणें लेकर आया है। विषम भौगोलिक हालात व मौसम के प्रचण्ड प्रकोप की मार झेलने वाला राजस्थान अब सूरज के विकास रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहा हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में आमजन के घर सूर्यघर बन रहे हैं। सौर ऊर्जा से मिल रहे पानी से खेतों में सिंचाई हो रही है। बढ़ती सौर ऊर्जा क्षमता के साथ देश में नम्बर वन राज्य के रूप में राजस्थान नए साल में प्रवेश कर रहा है।

ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब राजस्थान को कोयले की किल्लत के कारण बिजली संकट का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष में 320 दिन मिल रहे सूर्य के प्रकाश को प्रदेश का ऊर्जा परिदृश्य बदलने का जरिया बनाया। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तेजी से नीतिगत निर्णय किए गए, निवेश में आने वाली बाधाओं को दूर किया गया और भूमि आवंटन की प्रक्रियाओं को सुगम बनाया गया।

इससे परियोजनाएं समय पर पूरी होने लगी जिससे 2 साल में ही प्रदेश की सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर दोगुनी हो चुकी है और राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

वर्तमान में प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 35 हजार 910 मेगावाट पहुंच चुकी है, जो देश की कुल सौर क्षमता का लगभग 27 प्रतिशत है। बीते दो वर्षों में राज्य की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 18 हजार मेगावाट से अधिक की वृद्धि हुई है। भूमि पर लगी देश की 1 लाख मेगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में से 31 हजार मेगावाट का योगदान राजस्थान का है। राजस्थान इस प्रगति से देश के सोलर हब के रूप में मजबूती से उभर रहा है।

विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्यघर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि पीएम कुसुम में स्थापित ऊर्जा क्षमता दो साल में 122 मेगावाट से बढ़कर 2629 मेगावाट हो गई। कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए एवं कम्पोनेंट-सी के अन्तर्गत प्रदेश की गांव-ढाणियों में 2 हजार 629 मेगावाट क्षमता से अधिक की ग्रिड कनेक्टेड 1 हजार 201 लघु सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इनमें कम्पोनेंट-ए के अंतर्गत 478 मेगावाट क्षमता के 368 प्लांट तथा कम्पोनेंट-सी में 2 हजार 151 मेगावाट क्षमता के 833 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। इस तरह स्थापित ऊर्जा क्षमता में कम्पोनेंट-ए में राजस्थान प्रथम स्थान पर और कम्पोनेंट-सी में तीसरे स्थान पर है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली देने का वादा किया था। आज राजस्थान के 22 जिलों के किसानों को दिन में बिजली मिलने लगी है। सौर ऊर्जा का इसमें बड़ा योगदान है। पीएम कुसुम योजना के सभी कम्पोनेंट्स से 2 लाख 83 हजार से अधिक किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली मिल रही है। बीते दो साल में पीएम कुसुम कम्पोनेंट-बी में 58 हजार 361 सोलर पम्पसैट की स्थापना की गई है। सस्ती सौर ऊर्जा मिलने से किसानों की डीजल पंपों पर निर्भरता कम हुई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हर घर को ऊर्जादाता बनाने की पहल पर शुरू की गई पीएम सूर्यघर योजना में भी राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। आमजन रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाकर ना केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर रहे हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली से आर्थिक लाभ भी कमा रहे हैं। प्रदेश में 481 मेगावाट क्षमता के 1 लाख 20 हजार 162 रूफटॉप सोलर संयंत्र पीएम सूर्यघर योजना में लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कुल 1948 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। पीएम सूर्यघर योजना में रूफटॉप सोलर स्थापित करने वाले उपभोक्ताओं को 824 करोड़ की केन्द्रीय सब्सिडी वितरित की जा चुकी है।

सौर ऊर्जा से घरेलू उपभोक्ताओं की बचत बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना की शुरूआत की है। अक्टूबर माह में पंजीकरण शुरू होने के बाद अब तक 2 लाख 69 हजार से अधिक उपभोक्ता 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना से जुड़ने के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 17 हजार रूपए की राज्य सब्सिडी हस्तांतरित की जाती है। राज्य सब्सिडी की यह राशि पीएम सूर्यघर योजना में देय अधिकतम 78 हजार रूपए की केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त है।

प्रदेश में पीक ऑवर्स में अब तक अधिकतम डिमांड 19 हजार 165 मेगावाट रही है, जो 2030 तक 25 हजार 48 मेगावाट होना अनुमानित है।

आई.पी.एस. प्रफुल्ल कुमार और राघवेन्द्र सुहासा बने एडीजी

9 आईपीएस आईजी रैंक पर प्रमोट हुए, 11 बने डी.आई.जी.

- राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 40 अफसरों को दिया पदोन्नत

जयपुर (कासं)। भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के 2001 बैच के वरिष्ठ अधिकारी प्रफुल्ल कुमार और राघवेन्द्र सुहासा को राज्य सरकार ने पदोन्नति देकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) बनाया है। उन्हें महानिरीक्षक पुलिस वेतन श्रृंखला से अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर को आदेश जारी कर 40 आई.पी.एस. अधिकारियों को पदोन्नति दी है।

इसी प्रकार वर्ष 2008 बैच के 9 आई.पी.एस. अधिकारियों को उपमहानिरीक्षक से महानिरीक्षक वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया है। इस आदेश से लवली कटियार, डॉ. प्रीति चंद्रा, राहुल कोटोकी, डॉ. विकास पाठक, डॉ. राहुल जैन, ओमप्रकाश द्वितीय, राजेश सिंह, राजेन्द्र प्रसाद गोयल और कालूराम रावत अब पुलिस महानिरीक्षक (आई.जी.) होंगे।

इसी तरह वर्ष 2012 बैच के 11 आई.पी.एस. अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा की चयन वेतन श्रृंखला से उपमहानिरीक्षक (डी.आई.जी.) वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है। इनमें आईपीएस राशि डोगरा डूडी, ममता गुप्ता, पूजा अवाना, आदर्श सिद्धू, डॉ. किरन कैंग सिद्धू, जय यादव, अभिजीत सिंह, शांतनु कुमार सिंह, देवेन्द्र कुमार विश्नोई, विनीत कुमार बंसल, नारायण टोगस शामिल है।

इसी प्रकार वर्ष 2013 बैच के 9 आई.पी.एस. अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा की कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला से चयन वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है। इनमें तेजस्वनी गौतम, चूनाराम जाट, मनीष त्रिपाठी, सुधीर जोशी, राज कुमार चौधरी, सुरेन्द्र सिंह, संजीव नैन, नरेन्द्र सिंह और योगेश गोयल शामिल है। इसी तरह वर्ष 2017 बैच के 3 आईपीएस को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला (लेवल-12) में पदोन्नत किया है। इनमें राजर्षि राज वर्मा, शैलेन्द्र सिंह इंदोलिया और वंदिता राणा शामिल है। इसी तरह वर्ष 2022 बैच के 6 आईपीएस को कनिष्ठ वेतन श्रृंखला से वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नित दी है। इनमें उषा यादव, विनय कुमार डी.एच, पंकज यादव, आदित्य काकड़े, विशाल जांगिड़ और शिवानी शामिल है।

सेवा परिलाभ और वरिष्ठता वापस लेने के आदेश पर रोक

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ही भर्ती में बाद में नियुक्त प्रबोधकों को दिए सेवा परिलाभ सहित अन्य नोशनल परिलाभों को वापस लेने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और अलवर डीईओ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश लक्ष्मण सिंह राजपूत व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने प्रबोधक पद के लिए भर्ती निकाली थी। जिसमें कुछ अभ्यर्थियों को साल 2009 में नियुक्ति मिली थी। वहीं याचिकाकर्ताओं को कई सालों बाद साल 2017 में नियुक्ति दी गई। वहीं साल 2018 में उन्हें अदालती आदेश की पालना में पूर्व में लगे अन्य प्रबोधकों के समान सेवा परिलाभ व अन्य नोशनल परिलाभ दिए गए। याचिका में कहा गया कि गत 3 नवंबर को शिक्षा विभाग ने साल 2018 में दिए आदेश को वापस ले लिया और इस अवधि में दिए गए वेतन को अधिक बताकर उसकी रिकवरी निकाल दी। इसे अदालत में चुनौती देते हुए कहा गया कि एक भर्ती में अलग-अलग समय पर नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को एक समान वेतन परिलाभ और वरिष्ठता दी जाती है।

महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर (राज.)
आम सूचना दिनांक-30.12.2025
समिति की योजना वृंदावन धाम में प्लाट नं. 160 एवं 161 श्रीमति मिनाक्षी वर्मा के नाम थे। जो कही गुम हो जाने के कारण समिति कार्यालय में प्लाटों के डुप्लीकेट पट्टे बनाने हेतु निवेदन किया है इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराकर दैनिक भास्कर अखबार में 5 अगस्त 2025 खोया पाया में दे दी है।
इसमें किसी को ऐतराज हो तो सात दिवस में समिति कार्यालय में आपत्ति दर्ज करावें। अन्यथा बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। डुप्लीकेट आवंटन पत्र बना दिये जावेंगे।
मंत्री
महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर (राज.)

आम सूचना मेरे अभिभाथ के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाथ विकास यादव पुत्र श्री रमेश यादव निवासी प्लाट नम्बर-22, शिव विहार कॉलोनी, खातीपुरा जयपुर-302012 राजस्थान ने प्लाट नंबर 152-ए, श्याम सरोवर, सिवाड़, जयपुर राजस्थान जिसकी नाप 20 फीट बाई 45 फीट है। जिसका कुल क्षेत्रफल 100.0 वर्गगज के भूखण्ड को क्रय कर अपने नाम पर आवंटन पत्र जारी करवा लिया है। यह कि उपरोक्त वर्णित भूखण्ड से किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, सोसायटी या वित्तीय संस्था आदि को कोई आपत्ति या एतराज हो या उक्त भूखण्ड कहीं रहन, दान, बंधक हो तो सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति मय असल दस्तावेज मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं मेरा अभिभाथ उक्त भूखण्ड को स्वयं के कब्जे में लेकर परिवार सहित निवास करने के लिए स्वतंत्र होगा। सूचित रहे।
दिनांक-31.12.2025 नरेन्द्र सिंह शेखावत, एडवोकेट
जरिये श्री अम्बे लॉ एसोसिएट्स, मो.-8619859995

कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर)
कमरा नं. 608, पांचवी मंजिल, मिनी सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर
Email ID: drjpr.coop@rajasthan.gov.in Phone No. 0141-2208836
क्रमांक: -: सार्वजनिक नोटिस:- दिनांक:
(अन्तर्गत राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा -9 (1)
धनश्री क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर (पंजीयन संख्या- 963/LC दि. 27.06.2016) ने दिनांक 04.11.2025 को समिति की वार्षिक आमसभा का आयोजन कर समिति का पंजीकृत पता- 02-ए, सूटन नगर, पंडित जी की थड़ी के पास, मनोहर होटल के सामने, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर के स्थान पर समिति का नया पंजीकृत पता: प्लाट नं. 31 फर्स्ट फ्लोर, श्रीराम नगर विस्तार, 100 फीट रोड, जागृति मैटिन गार्डन के सामने, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर-302012 (राज.) किये जाने निर्णय पारित कर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा-9 एवं 10 के तहत समिति के पंजीकृत पते में किये गये संशोधन को पंजीकृत किये जाने हेतु इस कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत किया है।
अतः इस नोटिस के जरिये सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस सोसायटी के पते में परिवर्तन से किसी को कोई आपत्ति हो तो एक माह के भीतर-भीतर उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, जयपुर (शहर) के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। एक माह के पश्चात किसी प्रकार की आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा सोसायटी के पूर्व पंजीकृत पते के स्थान पर आवेदनानुसार सोसायटी के पंजीकृत पते में संशोधन को स्वीकार कर सोसायटी की उपविधियों में तदनुसार संशोधन कर दिया जायेगा। सूचित रहे।
(शिरीष वि. चान्दे), उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, जयपुर (शहर)

नाम परिवर्तन
मैं विशाल सिंह गुर्जर पुत्र बदन सिंह गुर्जर जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तहसील श्री महावीर जी जिला करौली राजस्थान बहलफ बयान करता हूं कि यह कि अनुज सिंह मेरा सगा पुत्र है जिसकी माता का नाम हेमलता पिता का नाम विशाल सिंह गुर्जर जन्मतिथि 25.12.2012 है। यह कि मेरे पुत्र के विद्यालय प्रवेश के समय मेरे पुत्र की माता का नाम गलती से हेमलता देवी दर्ज करवा दिया था व जन्मतिथि 02.08.2013 दर्ज कर दी थी। जो कि गलत है सहवन से दर्ज हो गयी थी जबकि मेरे पुत्र की माता का सही नाम हेमलता जन्मतिथि 25.12.2012 है जो सही व सत्य है। जो मेरे पुत्र के जन्मप्रमाण में दर्ज है। मेरे पुत्र के विद्यालय रिकार्ड में मेरे पुत्र की माता का गलत नाम हेमलता देवी के स्थान पर हेमलता दर्ज कर तथा जन्मतिथि 02.08.2013 के स्थान पर 25.12.2012 संशोधन करवाना चाहता हूं।

क्लेम राशि नहीं देने पर बीमा कंपनी पर हर्जाना

- बीमा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश

जयपुर (कासं)। जिला उपभोक्ता आयोग क्रम 2 ने बीमित वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसकी बीमा राशि अदा नहीं करने पर बीमा कंपनी इफको टोकियो पर पचास हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही आयोग ने बीमा क्लेम के रूप में 8.32 लाख रुपए परिवाद पेश करने की तिथि से 9 फीसदी ब्याज सहित परिवादी के पक्ष में अदा करने को कहा है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना और सदस्य अजय कुमार व सुप्रिया अग्रवाल ने यह आदेश कबूल चन्द सैनी के परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि वाहन के फोटोग्राफ से यह प्रतीत होता है कि दुर्घटना में वाहन टोटल लॉस हो गया था। ऐसे में सर्वेयर की रिपोर्ट को ठीक नहीं माना जा सकता।

परिवाद में अधिवक्ता गोपाल शास्त्री ने आयोग को बताया कि परिवादी ने विपक्षी बीमा कंपनी से साल 2016 में अपना वाहन का बीमा कराया था। वहीं बीमा अवधि के दौरान जनवरी 2017 उसके वाहन की दुर्घटना हो गई। इस पर परिवादी ने क्षितग्रस्त वाहन को कंपनी के वर्कशॉप में भेजकर बीमा कंपनी को समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिए। परिवाद में कहा गया कि बीमा कंपनी ने सितंबर, 2017 में बीमा क्लेम को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि परिवादी ने समय पर बीमा कंपनी को सूचना नहीं दी। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि आईआरडीए ने बीमा कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि घटना की जानकारी देरी से देने के आधार पर क्लेम के दावे को खारिज नहीं किया जाए। इसके बावजूद भी बीमा कंपनी ने उसके क्लेम को खारिज कर दिया। ऐसे में उसे बीमा राशि और हर्जाना दिलाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बीमा कंपनी पर हर्जाना लगाते हुए बीमा राशि ब्याज सहित अदा करने को कहा है।

खोया पाया
मैं आलोक गोयल पुत्र श्री अशोक गोयल मेरे द्वारा पंचशील कॉलोनाइजर प्राइवेट लिमिटेड से एक प्रॉपर्टी जिसका Priority no. 504 पंचशील पार्क महला अजमेर रोड के मूल एग्रीमेंट वह पेमेंट रिसिप्ट कहीं खो गई है मिलने पर सूचित करें-8209718046

मेरा पट्टा विजय सिंह पुत्र महताब सिंह दादा ससुर के नाम से मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति जपुर द्वारा जारी प्लाट नंबर 11 स्कीम नंबर-3, सीकर रोड जयपुर का अलॉटमेंट लेटर, साइटप्लान, रसीद और हकत्याग जयपुर में कहीं गुम हो गए है मिल तो सूचित करें-8302019723

मेरे प्लॉट नं. 14 चौधरी कॉलोनी करतारपुरा के समिति द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र साइड प्लान रसीद व मूल विक्रय पत्र कहीं गुम हो गया मिलने पर संपर्क करें श्रीमती अनीता पत्नी श्री योगेश बहादुर सक्सेना 9887292190

नाम परिवर्तन
मैंने अपना नाम पूजा के स्थान पर पूजा जैन धर्मपत्नी विपिन जैनरख लिया है यह दोनों नाम मेरे ही है भविष्य में मुझे पूजा जैन के नाम से जाना पहचाना जाए-7742337828

मेरे पिता को हलीम अंसारी एवं मोहम्मद सलीम दोनों नामों से जाना पहचाना जाता था जबकि उनका सही नाम हलीम अंसारी है। भविष्य में मुझे मोहम्मद वसीम अंसारी पुत्र श्री हलीम अंसारी निवासी 42-ए, आनन्दपुरी कॉलोनी, मानबाग जयसिंहपुरा खोर, जयसिंहपुरा शेखावतान, जयपुर के नाम से जाना जाये।

मैंने अपना नाम मुजिबूर रहमान खान से बदलकर मुजीब उर्र रहमान पुत्र फैयाजुद्दीन खान रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नामसे जाना जाये। पता-204/4 एच.ए.आर. कॉलोनी, मस्जिद के पास, चार दरवाजा बाहर, जयपुर

मैं आर्मी नम्बर 15171290N रैंक हवलदार नाम पाटील बाबासाहेब गुलाब, यूनिट-199 मीडियम रेजिमेंट मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरी पत्नी का नाम गलत दर्ज है। उनका सही नाम प्रियांका बाबासाहेब पाटील है। शपथ पत्र संख्या- IN-RJ 48884756106737X

मैं आर्मी नम्बर 15171290N रैंक हवलदार नाम पाटील बाबासाहेब गुलाब, यूनिट-199 मीडियम रेजिमेंट मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरी बेटी का नाम गलत दर्ज है। उनका सही नाम स्वरा बाबासाहेब पाटील है। शपथ पत्र संख्या- IN-RJ 488433693848131X

मैं आर्मी नम्बर 15171290N रैंक हवलदार नाम पाटील बाबासाहेब गुलाब, यूनिट-199 मीडियम रेजिमेंट मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरे बेटे का नाम गलत दर्ज है। उनका सही नाम शिवम बाबासाहेब पाटील है। शपथ पत्र संख्या- IN-RJ 48844100282720X

I have changed my name from Minu Singh to Minu Kumari D/o Virendra Kumar Narang for all purpose. Resi.: A-70, Janta Colony, Jaipur.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष से ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष ने की मुलाकात

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र कुमावत ने मोती डूंगरी गणेशजी के दर्शन कर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से शिष्टाचार भेंट की। कुमावत ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया।

सहकारिता मंत्री गौतम दक ने सुनी कार्यकर्ताओं की समस्याएं

जयपुर । सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम दक ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई की। मंत्री गौतम दक ने बताया कि भाजपा में कार्यकर्ता को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। कार्यकर्ताओं के कार्यों को संगठन के माध्यम से सत्ता के मंत्री प्राथमिकता दे रहे है, इससे क्षेत्र का विकास तेजी से होगा और क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को भी नई पहचान मिलेगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसी मंशा के साथ पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई शुरू की है, इसके परिणाम भी अब आना शुरू हो गए है। सहकारिता मंत्री गौतम दक ने कहा कि कार्यकर्ता सुनवाई में आने वाले परिवादों का मौके पर ही निस्तारण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं की सुनवाई सरकार में होना अत्यंत आवश्यक है। कार्यकर्ताओं की समस्याएँ दूर होंगी और उनके क्षेत्र की जन समस्याओं का समाधान होगा तो संगठन मजबूत होगा और संगठन मजबूत होगा तो सरकार भी सुदृढ़ बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई की जा रही है, वहीं मंत्रियों के निवास पर जनसुनवाई पूर्व की भांति निरंतर सुचारू है। प्रदेश के आमजन कभी भी मंत्रियों के निवास पर जनसुनवाई में आ सकते है। प्रदेश कार्यालय में आने वाले कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्या का समाधान किया जा रहा है। इस दौरान भाजपा कार्यालय सचिव मुकेश पारीक भी उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, फुलेरा जिला जयपुर
क्रमांक-न.पा.फु/2025-26/2587 **आपत्ति सूचना** दिनांक-31.12.2025
एतद् द्वारा हितबद्ध, व्यक्ति विशेष, आम खास को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्तियों ने नामान्तरण हेतु इस कार्यालय में आवेदन किया है।

क्र. सं.	प्रार्थी का नाम	आवंटी का नाम	स्थान	क्षेत्रफल वर्गगज	प्रयोजनार्थ
1.	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नि श्री विजय कुमार शर्मा	श्री दीनदयाल दाधीच पुत्र श्री रामवतार शर्मा	आवासीय भूखण्ड नं. 28 वाके गणेश विहार विस्तार फेज 1, फुलेरा	197.50	नामान्तरण

किसी भी व्यक्ति को उपरोक्तानुसार नामान्तरण के अन्तर्गत आवासीय पट्टा/ईजाजत बाबत आपत्ति हो तो आपत्ति आमंत्रण सूचना जारी होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर मयाद विधिमान्य दस्तावेजों सहित लिखित में आपत्ति कार्य दिवस के दौरान कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करावें। बाद मयाद गुजरने आपत्ति मान्य नहीं होगी।
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल, फुलेरा

कार्यालय नगर निगम जयपुर
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर
क्रमांक :- जसअ/2025/391 दिनांक: 29.12.2025
ई-निविदा सूचना क्रमांक :- 35-41/2025-26
जयपुर नगर निगम के विभिन्न कार्यो हेतु पंजीकृत फर्म्स से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, विस्तृत सूचना एवं शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.jaipurmc.org, www.sppp.raj.nic.in and www.eproc.rajasthan.gov.in पर स्टेट पब्लिक प्रोक्यूरमेन्ट के UBN No. JMC2526WSOB02324 To JMC2526GLOB02345 पर देखी जा सकती है।
उपायुक्त (गैराज)
नगर निगम जयपुर
राज.संवाद/